न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री जवाहर राम चौधरी आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 271/2019(29/18)
GCMS No. : 2018/00026

–: वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. मोहन पुत्र चंदरीया जाति–माली निवासी– दूकड़ा तहसील–जैतारण जिला–पाली।

बनाम

1. कचरू पुत्र सुमेर जाति–गुर्जर निवासी–दूकड़ा, जैतारण।
2. मोतीराम पुत्र शिवराम जाति–गुर्जर निवासी–निम्बेड़ाखुर्द।
3. अमृतलाल पुत्र रामचन्द्र ब्राहम्ण निवासी–आसरलाई तहसील–जैतारण।
4. तहसीलदार, जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.29.01.2018**

उपस्थितः–

1. श्री चुतराराम भाटी, जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 18/12/2019**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि खसरा नंबर 413 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 416 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 419 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 592/412 रकबा 16 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 599/423 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा बारानी दोयम कुल खसरा 05 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा बारानी दोयम है। उपरोक्त जमीन में वादी का 1/2 हिस्सा आया हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की खरीदशुदा 1/2 हिस्से की जमीन आई हुई है। मुतनाजा भूमि का मौके पर वादी व वादी के भाईयों के आपस में 30 वर्षो पहले बंटवाड़ा किया हुआ है लेकिन राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा किया हुआ नहीं [illegible] के भाईयों ने सन 2015 में अपने 1/2 हिस्से की जमीन का बेचान प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को कर दिया कबजे अनुसार मौके का नजरी नक्शा बनाकर दावा [illegible] साथ पेश किया जा रहा है। मौके के नजरी नक्शे अनुसार हरे [illegible] हिस्से की जमीन वादी की कब्जे काश्त की आई हुई है तथा लांल रेग से दर्शायी गई भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के हिस्से की आई हुई है। इसी माफिक वादी व प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है वादी के 1/2 हिस्से की जमीन पर वादी ने सन 2015 में चार लाख रूपये खर्च कर खड़िंग/पाल सिमेन्ट व पत्थरों से बनाई जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.01.05 17:08:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

प्रतिवादीगण का कोई सहयोग व हिस्सा नहीं रहा वादी द्वारा उक्त खंडिग/पाल अपने हिस्से की जमीन में बनाने से जमीन के दो तरफ पहाड़ होने से वर्षा ऋतु में पानी आकर इकट्ठा होता है जिससे जमीन उपजाउ होतीहै वादी ने अपने हिस्से की जमीन को जेसीबी चलाकर समतल बनाई जिससे लाखों रूपये खर्च हुए क्योंकि जमीन के दोनों तरफ पहाड़ होने से जमीन में वर्षात के समय पानी आने से जमीन का कटाव होने से समतल नहीं रही इसलिए वादी ने अपने 1/2 हिस्से की जमीन को उपजाउ बनाने एवं समतल करने में लाखों रूपये खर्च किये। प्रतिवादीगण ने अपने 1/2 हिस्से की जमीन को समतल नहीं करवाई और न अपने हिस्से की जमीन को उपजाउ बनाने के लिए रूपये खर्च किये जैसी स्थिति में सन 2015 में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया उसी स्थिति में आज भी काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण के हिस्से की जमीन मौके पर दो जगह आई हुई है जो लाल रंग से दर्शायी गई है जबकि वादी के हिस्से की जमीन एक चक में आई हुई है जो हरे रंग से दर्शायी गई है। और वादी खण्डिग को बेगनीया रंग से दर्शाया गया है इसी माफिक बंटवाड़ा किया जाना जरूरी है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को पिछले दो वर्षो से कहते आ रहे है कि मौके पर कब्जे काश्त के माफिक बंटवाड़ा किया जावे ताकि अपने अपने हिस्से की जमीन को समतल कर उपजाउ बनाई जा सके लेकिन प्रतिवादीगण ने कोई सुनवाई नहीं की और कहते रहे है कि माफिक कब्जा काश्त के आधार पर बंटवाड़ा कर लेंगे आज तक प्रतिवादीगण ने रेकर्ड में बंटवाड़ा करवाकर तरमीम नहीं करवाया गया खाता अलग-अलग नहीं करवाया। जबकि वादी ने अपने हिस्से की जमीन में लाखों रूपये खर्च कर खण्डिग बन्धवा कर जमीन को समतल करवाई अब प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की नियत खराब हो गई है और एलानिया कहते है कि वादी के हिस्से की जमीन में ट्यूबवेल खुदवायेंगे और मौके पर वादी के हिस्से की कब्जे काश्त की जमीन पर कब्जा कर लेंगे यदि वादी सामना करेगा तो जान से खत्म कर देंगे जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी का बिनाय दावा दिनांक 05.01.2018 को जब प्रतिवादीगण ने मुतनाजा जमीन का बंटवाड़ा कराने से साफ इन्कार करने व वादी के हिस्से की कब्जे काश्त की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी देने पर बमुकाम टूकड़ा में पैदा हुआ। जो अदालत बाला के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 की ओर वकालतनामा पेश हुआ। जो सामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 01 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 02 व [illegible] जवाबदावा पेश करने के अनेकानेक अवसर दिये गये। वकील प्रतिवादी जवाबदावा पेश नहीं करना चाहते हैं। जवाब दावा बंद किया जाता है।

वकुलाय ने अपनी-अपनी सहमति जाहिर कर उक्त [illegible] को राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार माफिक राजस्व रेकर्ड पक्षकारान में बाई मिण्अस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने की इस्तदुआ की है। अपनी-अपनी सहमति के वकुलाय ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.01.05 17:08:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वस्तुतः जमाबन्दी संख्या 2073-76 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी 1/2 हिस्से का व प्रतिवादीगण 1/2 हिस्से के खातेदार-काश्तकार है। खसरा नंबर 413 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 416 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 419 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 592/412 रकबा 16 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 599/423 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा बारानी दोयम का गहनता से अवलोकन किया गया। जिसका माफिक राजस्व रेकर्ड वादी एवं प्रतिवदीगण का वाद बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिकी की जाकर बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के दिनाँक 09.12.2019 को इस आशय की सादिर की गई थी कि सरहद मौजा-खेड़ारामगढ, पटवार हल्का-सांगावास, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नंबर 413 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 416 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 419 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 592/412 रकबा 16 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 599/423 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा बारानी दोयम कुल खसरा 05 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा बारानी दोयम आई हुई है, जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2020/93 दिनांक 21/01/2020 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/2020/2212 दिनांक 15/07/2020 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने माफिक बंटवाड़ा/विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं डिक्री की पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा हम माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.01.05 17:08:07 IST
Reason: SelfAttested

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अन्तिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा- खेड़ारामगढ, पटवार हल्का-सांगावास, तहसील-जैतारण जिला पाली में वादी व प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 413 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 416 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 419 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 592/412 रकबा 16 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रक) जैतारण

599/423 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा बारानी दोयम कुल खसरा 05 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1.	मोहनराम पुत्र चन्द्राराम कौम माली सा0देह खातेदार	416	6-07	बारानी दोयम	1.59
		413/1	2-14	बारानी दोयम	0.68
		592/412	0-16	बारानी दोयम	0.20
		599/423	1-13	बारानी दोयम	0.41
	योग	04	11-10		2.88
2	कचरूराम पुत्र सुमेरराम कौम गुर्जर सा0देह खातेदार 6/23 मोतीराम पुत्र शिवराम कौम गुर्जर सा0देह अमृतलाल पुत्र रामचन्द्र 12/23 कौम ब्राहमण सा0 आसरलाई खातेदार नजरी नक्शा	419	5-10	बारानी दोयम	1.38
		413	6-01	बारानी दोयम	1.51
	योग	02	11-11		2.89

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 18/12/2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.01.05 17:08:07 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक) मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री जवाहर राम चौधरी आर0ए0एस0

-: वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

2. मोहन पुत्र चंदरीया जाति–माली
   निवासी– दूकड़ा
   तहसील–जैतारण जिला–पाली।

5. कचरू पुत्र सुमेर जाति–गुर्जर
   निवासी–दूकड़ा, जैतारण।
6. मोतीराम पुत्र शिवराम जाति–गुर्जर
   निवासी–निम्बेड़ाखुर्द।
7. अमृतलाल पुत्र रामचन्द्र ब्राहम्ण
   निवासी–आसरलाई तहसील–जैतारण।
8. तहसीलदार, जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — मु0न0 :रा0वा0 स0: 271/2019 (29-2018)

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री चुतरा राम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री हरिओम पारिक अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजस्व मौजा– सरहद मौजा– खेड़ारामगढ, पटवार हल्का–सांगावास, तहसील–जैतारण जिला–पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 413 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 416 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 419 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 592/412 रकबा 16 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 599/423 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा बारानी दोयम कुल खसरा 05 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1.	मोहनराम पुत्र चन्द्राराम कौम माली सा0देह खातेदार	416	6-07	बारानी दोयम	1.59
		413/1	2-14	बारानी दोयम	0.68
		592/412	0-16	बारानी दोयम	0.20
		599/423	1-13	बारानी दोयम	0.41
	योग	04	11-10		2.88
2	कचरूराम पुत्र सुमेरराम कौम गुर्जर सा0देह खातेदार 6/23 मोतीराम पुत्र	419	5-10	बारानी दोयम	1.38

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.01.05 17:08:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

	शिवराम कौम गुर्जर सा0देह **अमृतलाल पुत्र रामचन्द्र 12/23 कौम ब्राहमण सा0 आसरलाई खातेदार नजरी नक्शा**	413	6-01	बारानी दोयम	1.51
	योग	**02**	**11-11**		**2.89**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.... ..फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 18/12/2020 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
जैतारण (जिला–पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील	/	खर्चा गवाहान	/
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः–	04-00	मिजानः–	01-00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.01.05 17:08:07 IST
Reason: SelfAttested